प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक– 3415 /नि0शा0/2021–22 दिनांक– 07 मार्च, 2022

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/लाभार्थी–40 के0+रा0) के अन्तर्गत अनुदान सं0–83 में अनुसूचित जातियों हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 120.50 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 80.33 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 9/2022/128/सत्रह–म–2022–17–1002 (002)/4/2022 दिनांक 04.03.2022, (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/ लाभार्थी–40 के0+रा0) के अन्तर्गत अनुदान सं0–83 में अनुसूचित जातियों हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 120.50 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 80.33 लाख (रू0 अस्सी लाख तैंतीस हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 3/2021/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22–3–2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2021 के प्रस्तर–3(।।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– उक्त शर्तो के साथ ही मात्र राज्यांश रू0 80.33 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है। अतः कृपया संबंधित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–83 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/लाभार्थी–40,के0+रा0),20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

16– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (07) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 उप सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी...............................
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक– /नि0शा0/2021–22 दिनांक– 07 मार्च, 2022

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/लाभार्थी–40 के0+रा0) के अन्तर्गत अनुदान सं0–83 में अनुसूचित जातियों हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 120.50 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 80.33 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषणः**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 9/2022/128/सत्रह–म–2022–17–1002 (002)/4/2022 दिनांक 04.03.2022, (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के36/रा024/ लाभार्थी–40 के0+रा0) के अन्तर्गत अनुदान सं0–83 में अनुसूचित जातियों हेतु निर्गत मात्र केन्द्रांश रू0 120.50 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0 80.33 लाख (रू0 अस्सी लाख तैंतीस हजार मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1– भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या–31/2020/1047/सत्रह–म–2020–6–9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2– बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 3/2021/बी–1–375–दस–2021–231/2021 दिनांक 22–3–2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा–निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 – स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7– मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई–टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9– भारत सरकार के पत्रांक जे0–18001/1/2017–एफवाई, दिनांक 23–04–.2021 के प्रस्तर–3(।।) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण–पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रकिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13– धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14–व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15– उक्त शर्तों के साथ ही मात्र राज्यांश रू0 80.33 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है। अतः कृपया संबंधित मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान सं0–83 के अधीन लेखा शीर्षक–2405–मछली पालन, 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103– प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के036/रा024/लाभार्थी–40,के0+रा0),20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

16– उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– (07) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 3415 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2 उप सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3 संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.............................
4 उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5 गार्ड फाइल।
6 वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-05/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-Fish SEED HATICHERY SC 05-03-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	600000 9461680	600000 9461680
	योग	वर्तमान प्रगामी	600000 9461680	600000 9461680

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छ: लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौरानवे लाख इकसठ हजार छ: सौ अस्सी

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-05/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-NEW PONDS NIRMAN SC 05-03-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अलीगढ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	33000 1338000	33000 1338000
2	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	134000 2047200	134000 2047200
3	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	341000 2055500	341000 2055500
4	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	303000 3435000	303000 3435000
5	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	84000 210000	84000 210000
6	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	101000 670800	101000 670800
7	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	367000 11282620	367000 11282620
8	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --25-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - कानपुर देहात	वर्तमान प्रगामी	67000 174000	67000 174000
9	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	185000 1527000	185000 1527000
10	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	592000 2167000	592000 2167000
11	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	84000 237000	84000 237000
12	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	97000 2043000	97000 2043000
13	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	33000 1085810	33000 1085810
14	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	84000 1050000	84000 1050000
15	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	84000 1461600	84000 1461600
16	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	101000 5079000	101000 5079000
17	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	253000 5007800	253000 5007800
18	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	42000 826440	42000 826440

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
19	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	143000 14088000	143000 14088000
20	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	923000 10384680	923000 10384680
21	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	235000 2077200	235000 2077200
22	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	185000 7807800	185000 7807800
23	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	95000 8705220	95000 8705220
24	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	91000 9103140	91000 9103140
25	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	123000 3897400	123000 3897400
26	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	168000 1320000	168000 1320000
27	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	134000 2571000	134000 2571000
28	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	165000 941980	165000 941980
29	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	244000 2194200	244000 2194200
30	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 747900	50000 747900
	योग	वर्तमान प्रगामी	5541000 105536290	5541000 105536290

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचपन लाख इक्तालीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़ पचपन लाख छत्तीस हजार दो सौ नब्बे

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-05/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-LARGE RAS BIOFALAK SC 05-03-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 6207800	1200000 6207800
	योग	वर्तमान प्रगामी	1200000 6207800	1200000 6207800

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बारह लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बासठ लाख सात हजार आठ सौ

(पूजा [illegible])
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-05/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-MOTE CYCLE WITH ICE BOX SC 05-03-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	18000 2073500	18000 2073500
2	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	18000 3453000	18000 3453000
3	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	18000 11300620	18000 11300620
4	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	18000 1545000	18000 1545000
5	हमीरपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	18000 2185000	18000 2185000
6	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	18000 255000	18000 255000
7	मिर्ज़ापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	18000 3861000	18000 3861000
8	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	18000 1103810	18000 1103810
9	आजमगढ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	18000 51000	18000 51000
10	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	18000 6225800	18000 6225800
11	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	18000 844440	18000 844440
12	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	36000 14124000	36000 14124000
13	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	72000 10456680	72000 10456680
14	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	18000 7825800	18000 7825800
15	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	36000 8741220	36000 8741220
16	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	18000 2589000	18000 2589000
17	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	18000 45000	18000 45000
18	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	18000 959980	18000 959980

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
19	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	36000 841200	36000 841200
	योग	वर्तमान प्रगामी	450000 78481050	450000 78481050

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार लाख पचास हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सात करोड़ चौरासी लाख इक्यासी हजार पचास

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-05/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-CYCLE WITH ICE BOX SC 05-03-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	पीलीभीत-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2000 553240	2000 553240
2	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	16800 3216000	16800 3216000
3	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	2400 10459080	2400 10459080
4	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	4800 846000	4800 846000
	योग	वर्तमान प्रगामी	26000 15074320	26000 15074320

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छब्बीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ पचास लाख चौहत्तर हजार तीन सौ बीस

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-05/03/2022

प्रेषण संख्या:- 1
आवंटन आदेश संख्या:- 001-THREE WHEELER WITH ICE BOX SC 05-03-2022
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01 -
03 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के036 / रा0-24 / लाभार्थी-40 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	72000 1617000	72000 1617000
2	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	72000 2149200	72000 2149200
3	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	72000 8813220	72000 8813220
	योग	वर्तमान प्रगामी	216000 12579420	216000 12579420

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो लाख सोलह हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ पच्चीस लाख उन्नासी हजार चार सौ बीस

(प्रभु नारायण)
वित्त एवं लेखाधिकारी

संख्या: 9 /2022/128/सत्रह-म-2022-17-1002(002)/1/2022

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 04 मार्च, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति रू0 120.50 लाख (मात्र केन्द्रांश) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश धनराशि रू0 80.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-53/नि0शा0/2021-22/16-19(6) दिनांक 14 फरवरी, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिये अवमुक्त केन्द्रांश रू0 120.50 लाख के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-83 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु प्राविधानित बजट में से निर्गत वित्तीय स्वीकृति रू0 रू0 120.50 लाख (मात्र केन्द्रांश) के सापेक्ष अवशेष मैचिंग राज्यांश धनराशि रू0 80.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक-W- 11011/8/2020-Fy दिनांक 30.09.2021 द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग हेतु केन्द्रांश धनराशि रू0 120.50 लाख अवमुक्त की गयी थी। इस सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में प्रश्नगत योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या-6/2022/01/सत्रह-म-2022-17-1002(0002)/1/2022 दिनांक 28.01.2022 द्वारा मात्र केन्द्रांश रू0 120.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। प्रश्नगत योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु दिनांक 28.01.2022 को निर्गत वित्तीय स्वीकृति रू0 120.50 लाख (मात्र केन्द्रांश) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश धनराशि रू0 80.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जानी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु दिनांक 28.01.2022 को निर्गत वित्तीय स्वीकृति रू0 120.50 लाख (मात्र केन्द्रांश) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश धनराशि रू0 80.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार 06 परियोजनाओं हेतु श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका

(इकाई रू0 लाख में)

क्र0 सं0	परियोजनाओं का नाम/ वित्त पोषण (के036+रा024+ला0-40 के0+रा0)	इकाई (है0/ सं 0)	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव			वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्गत मात्र केन्द्रांश धनराशि रू0 120.50 लाख के सापेक्ष निर्गत होने वाली मैचिंग राज्यांश की धनराशि	
					केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	निर्गत होने वाली मैचिंग राज्यांश की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	फिनफिश हैचरियों की स्थापना	3	25.00	75.00	27.00	18.00	30.00	6.00	6.00
2	नये तालाबों का निर्माण	64.00	7.00	448.00	161.28	107.52	179.20	55.41	55.41
3	वृहद आर0ए0एस0/ बायोफ्लाक का निर्माण	2	50.00	100.00	36.00	24.00	40.00	12.00	12.00
4	मोटर साइकिल विद आइस बाक्स	25	0.75	18.75	6.75	4.50	7.50	4.50	4.50
5	साइकिल विद आइसबाक्स	11	0.10	1.10	0.40	0.26	0.44	0.26	0.26
6	थ्री व्हीलर विद आइसबाक्स	6	3.00	18.00	6.48	4.32	7.20	2.16	2.16
	कुल योग							80.33	80.33

(रू0 अस्सी लाख तैंतीस हजार मात्र)

(1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 30.09.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेगे, जो भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है।

(3) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब निदेशक मत्स्य / सम्बंधित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन / संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(4) वित्तीय स्वीकृतियों जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष नियंत्रक/ अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(5) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया गया है।

(6) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(7) संभावित व्यय को एकमुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(14) ऑकडों की सुद्दता का दायित्व निदेशक मत्स्य /सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(15) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का आहरण किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत है।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(18) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(19) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(20) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त शर्तो के साथ ही साथ मात्र मैचिंग राज्यांश रू0 80.33 लाख की प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एक लाभार्थीपरक योजना है। अतः कृपया निदेशक मत्स्य व सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रभावी चुनाव आदर्श आचार संहिता (एम0सी0सी0) का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

5- वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्बंधित जनपदों को परियोजनाओं के सापेक्ष निर्गत किये जाने वाली धनराशि व तत्सम्बन्धी जनपदों का निर्धारण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों व गाइड लाइन्स के अनुसार निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) (के036/रा024/लाभार्थी-40,के0+रा0)20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर/अशासकीय संख्या-ई-1-3509-दस-2021-2022 दिनांक-27.01.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by कृपा शंकर यादव
Date: 04-03-2022 17:29:15
Reason: Approved
(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

संख्या: 9 /2022/128(1)/सत्रह-म-2022तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- संयुक्त निदेशक मत्स्य/ उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
9- गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
क्रमांक	जनपद	मत्स्य बीज हैचरी /**25.0 lacs/ unit**					
		अनु0 जाति लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बाराबंकी	1	25.00	15.00	9.00	6.00	6.00
प्रदेश योग		**1**	**25.00**	**15.00**	**9.00**	**6.00**	**6.00**

(रू0 छः लाख मात्र)

05/3/2022

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2021–22

(धनराशि रू0 लाख में)

नये तालाब निर्माण अनु0 जाति लाभार्थी							
कमांक	जनपद	क्षेत्रफल हे0	धनराशि	स्वीकृत कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त धनराशि केवल राज्यांश
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फिरोजाबाद	0.540	3.7800	2.27	1.36	0.91	0.91
2	मैनपुरी	2.029	14.2030	8.52	5.11	3.41	3.41
3	मथुरा	0.800	5.6000	3.36	2.02	1.34	1.34
4	अलीगढ	0.200	1.4000	0.84	0.51	0.33	0.33
5	हाथरस	1.450	10.1500	6.09	3.65	2.44	2.44
6	एटा	0.600	4.2000	2.52	1.51	1.01	1.01
7	कासगंज	1.200	8.4000	5.04	3.02	2.02	2.02
8	मऊ	0.565	3.9550	2.37	1.42	0.95	0.95
9	कानपुरदेहात	0.400	2.8000	1.68	1.01	0.67	0.67
10	इटावा	1.500	10.5000	6.30	3.78	2.52	2.52
11	औरैया	0.686	4.8020	2.88	1.73	1.15	1.15
12	गोरखपुर	0.580	4.0600	2.43	1.46	0.97	0.97
13	महाराजगंज	0.730	5.1100	3.07	1.84	1.23	1.23
14	कुशीनगर	0.800	5.6000	3.36	2.02	1.34	1.34
15	बांदा	0.500	3.5000	2.10	1.26	0.84	0.84
16	चित्रकूट	0.000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	हमीरपुर	3.524	24.6680	14.80	8.88	5.92	5.92
18	महोबा	1.000	7.0000	4.20	2.52	1.68	1.68
19	झॉसी	1.100	7.7000	4.62	2.77	1.85	1.85
20	ललितपुर	1.100	7.7000	4.62	2.77	1.85	1.85
21	गोण्डा	0.850	5.9500	3.57	2.14	1.43	1.43
22	बहराइच	1.400	9.8000	5.88	3.53	2.35	2.35
23	अयोध्या	0.250	1.7500	1.05	0.63	0.42	0.42
24	बाराबंकी	5.492	38.4440	23.07	13.84	9.23	9.23
25	बस्ती	0.200	1.4000	0.84	0.51	0.33	0.33
26	अमरोहा	0.300	2.1000	1.26	0.76	0.50	0.50
27	रामपुर	0.600	4.2000	2.52	1.51	1.01	1.01
28	बिजनौर	0.500	3.5000	2.10	1.26	0.84	0.84
29	उन्नाव	0.500	3.5000	2.10	1.26	0.84	0.84
30	सीतापुर	0.500	3.5000	2.10	1.26	0.84	0.84
31	हरदोई	0.600	4.2000	2.52	1.51	1.01	1.01
32	लखीमपुरखीरी	1.504	10.5280	6.32	3.79	2.53	2.53
33	चन्दौली	0.980	6.8600	4.12	2.47	1.65	1.65
प्रदेश योग		**32.980**	**230.8600**	**138.52**	**83.11**	**55.41**	**55.41**

(रूपये पचपन लाख इकतालिस हजार मात्र)

05/3/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
क्रम	जनपद	वृहद आर0ए0एस0 / वृहद वायोफलाक / **Rs. 50.0 lacs/unit**					
		अनु0 जाति लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	लखीमपुरखीरी	1	50.00	30.00	18.00	12.00	12.00
प्रदेश योग		**1**	**50.00**	**30.00**	**18.00**	**12.00**	**12.00**

(रू0 बारह लाख मात्र)

AD F (D) 05/3/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22

मोटर साईकिल विथ आइस वॉक्स / **Rs. 0.75 lacs/unit**

अनु0 जाति लाभार्थी

कमांक	जनपद	संख्या	धनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मैनपुरी	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.180
2	कासगंज	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.180
3	आजमगढ	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.180
4	मऊ	2	1.500	0.900	0.540	0.360	0.360
5	कौशम्बी	2	1.500	0.900	0.540	0.360	0.360
6	औरैया	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.180
7	कुशीनगर	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.180
8	बांदा	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.180
9	हमीरपुर	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.180
10	झाँसी	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.180
11	ललितपुर	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.180
12	गोण्डा	2	1.500	0.900	0.540	0.360	0.360
13	अयोध्या	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.180
14	अम्बेडकर नगर	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.180
15	बाराबंकी	4	3.000	1.800	1.080	0.720	0.720
16	बस्ती	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.180
17	लखीमपुरखीरी	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.180
18	चन्दौली	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.180
19	मिर्जापुर	1	0.750	0.450	0.270	0.180	0.180
प्रदेश योग		**25**	**18.750**	**11.250**	**6.750**	**4.500**	**4.500**

(रू0 चार लाख पचास हजार मात्र)

05/3/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
कमांक	जनपद	साईकिल विथ आइस वॉक्स / **Rs. 0.10 lacs/unit**					
		अनु0 जाति लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रयागराज	7	0.700	0.420	0.252	0.168	0.168
2	कौशम्बी	2	0.200	0.120	0.072	0.048	0.048
3	बाराबंकी	1	0.100	0.060	0.036	0.024	0.024
4	पीलीभीत	1	0.100	0.060	0.036	0.024	0.020
प्रदेश योग		**11**	**1.100**	**0.660**	**0.396**	**0.264**	**0.260**

(रू0 छब्बीस हजार मात्र)

05/3/2022

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 2021-22							
क्रमांक	जनपद	थ्री व्हीलर विथ आइस बॉक्स / **Rs. 3.0 lacs/unit cost**					
		अनु0 जाति लाभार्थी					
		संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		कुल अवमुक्त अनुदान (केवल राज्यांश) (रू लाख में)
					केन्द्राश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मऊ	1	3.00	1.80	1.08	0.72	0.72
2	झॉसी	1	3.00	1.80	1.08	0.72	0.72
3	बहराइच	1	3.00	1.80	1.08	0.72	0.72
प्रदेश योग		**3**	**9.00**	**5.40**	**3.24**	**2.16**	**2.16**

(रू0 दो लाख सोलह हजार मात्र)

05/3/2022